संशोधित मांग–पत्र

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर–332001, Ph. No. 01572-274094, email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcfsikar@gmail.com)

क्रमांक : एफ ( )एफसीए/उवसंसी/2020–21/3619 दिनांक : 24/03/2021

निमितः–

अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड–सीकर।

विषयः–Diversion of 6.35 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, PWD, Sikar Rajasthan for renewal, widenning & strengthening of Sikar-Harsh road (ODR-04) Km 8/750 to 15/100 in Harshnath PF Village- Antri, Tehsil- Dhod, District-Sikar
Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/29601/2017

संदर्भः–वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज0/06/06/ 2018/एफ.सी./938 दिनांक 28.03.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 12548 दिनांक 12.04.2018, 21250 दिनांक 30.08.2018 व 9670 दिनांक 28.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के कम में आलौच्य प्रकरण में वन संरक्षक, (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र संख्या 8बी/राज./06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018 के द्वारा उक्त प्रस्ताव में शर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिनकी बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत करावेः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शर्त की पालना में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करे।
2. शर्त संख्या 2 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षैत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 6.35 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु 6.35 है0 X 172600 प्रति है0 की दर से आवश्यक धन राशि 1096010/– (रूपये दस लाख छियानवें हजार दस मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करावे।

   प्रस्तावित गैर वन भूमि का हस्तान्तरण व नामान्तरण वन विभाग के नाम करवाकर दस्तावेज प्रस्तुत करे।
3. शर्त संख्या 3 की पालना में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के रिट पीटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफसी दिनांक 06.02.2009 में दिये गये आदेशानुसार 6.35 है0 X 626000 रूपये प्रति है0 की दर से शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) राशि 3975100/– (रूपये उन्नचालीस लाख पिच्चेहतर हजार एक सौ मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करावे।

   शर्त संख्या 02 व 03 की पालना में मांग अनुसार कुल राशि **5071110/– (रूपये पच्चास लाख इकतर हजार एक सौ दस मात्र)** ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित करें।
4. शर्त संख्या 4 की पालना में यह वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी.की धनराशि में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवायी जायेगी।

5. शर्त संख्या 5 की पालना में प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4'' फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिलरो से किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, **Backword and Forward bearing** एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी। शर्त की पालना में अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करे।
6. शर्त संख्या 6 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण मक डिस्पोजल योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करावे ।
7. शर्त संख्या 7 की पालना में यह वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, कि सक्षम स्तर से स्वीकृति से मिलने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) सैन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।
9. शर्त संख्या 7 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालना करने सम्बन्धी वचनबद्धता–पत्र प्रस्तुत करावे।
10. परियोजना के निमित्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (working permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र–11–306/2014–एफ0सी0(pt.) दिनांक – 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।

भविष्य में यदि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरों में वृद्धि होती है तो अन्तर राशि जमा करानी होगी। इसकी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

इस प्रकार शर्त संख्या 02 व 03 की पालना में मांग अनुसार कुल राशि **5071110/– (रूपये पच्चास लाख इकतर हजार एक सौ दस मात्र)** ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित करें।

भवदीय,

(भीमा राम चौधरी)
उप वन संरक्षक,
सीकर
दिनांक :

क्रमांक : एफ ( )एफसीए/उवसंसी/2020–21/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, अरण्य भवन, जयपुर।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर ।
3. सहायक वन संरक्षक, सीकर /क्षेत्रीय वन अधिकारी सीकर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जब तक यूजर एजेन्सी द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो की पालना प्रस्तुत नहीं की जाती है, तब तक वन भूमि में कोई गैर वानिकी कार्य नहीं हो, यह सुनिश्चित करे।

(भीमा राम चौधरी)
उप वन संरक्षक,
सीकर